न्यायालय उपखण्डधिकारी महोदय,सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर

पीठसीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 16/2020

1. प्रभसिमरन बादल पुत्री जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी फतेहसिंहवाला तहसील सादुलशहर हाल आबाद सैक्टर न0 9 चण्डीगढ़ (पंजाब)।

–वादीया

बनाम

1. जोगेन्द्र सिंह पुत्र करतार सिंह जाति जटसिख निवासी फतेहसिंहवाला तहसील सादुलशहर हाल आबाद सैक्टर न0 9 चण्डीगढ़ (पंजाब)।
2. हरजिन्द्र कौर पत्नी जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी फतेहसिंहवाला तहसील सादुलशहर हाल आबाद सैक्टर न0 9 चण्डीगढ़ (पंजाब)।
3. गुरदास कौर पत्नी जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी फतेहसिंहवाला तहसील सादुलशहर हाल आबाद सैक्टर न0 9 चण्डीगढ़ (पंजाब)।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 RTA

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण

1	श्री जगनन्दन सिंह अधिवक्ता	वादीया
2	श्री अनिल शर्मा अधिवक्ता	प्रतिवादी संख्या 1 ता 3
3	राजपैरोकार स्टेट	प्रतिवादी संख्या 4

निर्णय

दिनांक : 17.2.2020

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्व अन्तर्गत धारा 88 आरटीए के तहत् इस न्यायालय में इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया है कि चक 13 एस डी एस के खाता संख्या 82/71 प.न. 39/124 मु0 न0 11 कि. न. 13 ता 25 प.न. 39/125 मु.न. 12 कि.न. 1 ता 25 प.न. 40/125 मु.न. 13 कि. न. 1 ता 25 प.न. 41/126 मु.न. 21 कि.न. 1 ता 3, 8 ता 13 , 18 ता 23 प.न. 40/126 मु.न. 22 कि.न. 1 ता 25 प.न. 39/126 मु.न. 23 कि.न. 1 ता 25 प.न. 39/127 मु. न. 24 कि.न. 1 ता 25 प.न. 40/127 मु.न. 25 कि.न. 1 ता 25 प.न. 41/127 मु.न. 26 कि. न. 1 ता 25 प.न. 42/127 मु.न. 27 कि.न. 1, 10, 11, 20, 21 प.न. 42/128 मु.न. 32

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

कि.न. 1, 10, 11, 20, 21 प.न. 41/128 मु.न. 33 कि.न. 1 ता 25 प.न. 40/128 मु.न. 34 कि.न. 1 ता 25 प.न. 39/128 मु.न. 35 कि.न. 1 ता 25 प.न. 41/129 मु.न. 36 कि. न. 1, 2, 3, 9, 10 कुल खाता 293 में 74.129 है0 नहरी मय गैर मुमकिन रास्ता खाला आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 16.795 है0 आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीया प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 वादीया की माता है वादिया के पिता के नाम से चक 13 एस डी एस के खाता संख्या 82/71 में दर्ज आराजी जद्दी जायदाद है एवं वादिया के पिता प्रतिवादी संख्या 1 की दो शादिया हुयी है एवं वादिया को कोई भाई नही था इस कारण वादिया के पिता प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने नाम से दर्ज उक्त आराजी का आपस में घरू बंटवारा करके वादीया को 4.301 है0 आराजी दे रखी है एवं शेष रकबा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने अपने पास रख ली है। वादीया ने घरू बंटवारा में प्राप्त उक्त आराजी को लगातार बिना किसी बाधा के प्रतिवादीगण के देखा देखी शंतिपूर्ण तरीके से काश्त करता आ रही है एवं वादीया ने उक्त आराजी को कड़ी मेहनत करके एवं काफी रूपया पैसा खर्च करके अत्याधुनिक तरीके से कृषि करके काफी उपजाऊ बनाया है जिससे प्रतिवादी संख्या 1 के मन में बंदयाति पैदा हो गई है और प्रतिवादी संख्या 1 राजस्व रिकार्ड की आड़ में वादीया को सुधार की गयी कब्जा काश्त की आराजी से बेदखल करने की धमकी दे रहे है और कई बार उन्होंने वादीया को उनके कब्जा काश्त की आराजी से बेदखल करने की कोशिश भी की एवं आराजी राजस्व रिकार्ड में वादीया के नाम से न होने से वादीया को पानी की बारी रास्ता आदि को लेकर झगड़ा फॅसाद रहता है जिससे वादीया अपने हक व हिस्सा की आराजी को बेझिझक होकर काश्त करने में असमर्थ रहती है इस कारण वादीया अपनी उक्त कब्जाशुदा घरू बंटवारा में प्राप्त आराजी की राजस्व रिकार्ड में वादीया अपने नाम घोषणा अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में करवा कर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन करवाने का कानूनन हकदार एवं अधिकारी है। वादीया ने कई बार प्रतिवादी संख्या 1 से कहा कि वो वादीया के हक हिस्सा एवं कब्जा काश्त की आराजी की खातेदारी वादीया के नाम से करवा कर सहमति से करवा कर अपना नाम उक्त खाता से कलमजन करवा देवे तथा वादीया को उसके कब्जा काश्त की आराजी से बेदखल न करे एवं वादग्रस्त आराजी को राजस्व रिकार्ड की आड़ में रहन बैय न करें तो उक्त प्रतिवादीगण ने बिरादरी की पंचायत में दिनांक 20.09.2019 को बमुकाम में चक 13 एस डी एस में कत्तई इंकार हो गये एवं वादीया को धमकी दी कि हम तो वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकार्ड में वादीया के नाम नहीं दर्ज करवाऐगे, तुम्हे जो करना है कर लो यही बिनाय दावा है।

अतः वाद वादीया की ओर से पेश कर निवेदन है कि वाद वादीया निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :– इस आश्य की घोषणा की जावे कि चक 13 एस डी एस के खाता संख्या 82/71 प.न. 39/124 मु0 न0 11 कि. न. 13 ता 25 प.न. 39/125 मु.न. 12 कि.न. 1 ता 25 प.न. 40/125 मु.न. 13 कि.न. 1 ता 25 प.न. 41/126 मु.न. 21 कि. न. 1 ता 3, 8 ता 13 , 18 ता 23 प.न. 40/126 मु.न. 22 कि.न. 1 ता 25 प.न. 39/126 मु.न. 23 कि.न. 1 ता 25 प.न. 39/127 मु. न. 24 कि.न. 1 ता 25 प.न. 40/127 मु.न. 25 कि.न. 1 ता 25 प.न. 41/127 मु.न. 26 कि.न. 1 ता 25 प.न. 42/127 मु.न. 27 कि. न. 1, 10, 11, 20, 21 प.न. 42/128 मु.न. 32 कि.न. 1, 10, 11, 20, 21 प.न. 41/128

अधिकारी (राजस्व)

Scanned by CamScanner

मु.न. 33 कि.न. 1 ता 25 प.न. 40/128 मु.न. 34 कि.न. 1 ता 25 प.न. 39/128 मु.न. 35 कि.न. 1 ता 25 प.न. 41/129 मु.न. 36 कि.न. 1, 2, 3, 9, 10 कुल खाता 293 में 74.129 है0 नहरी मय गैर मुमकिन रास्ता खाला में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज 16.795 है0 आराजी मे से वादिया 4.301 है0 आराजी की खातेदार काश्तकार घोषित कर उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार वादिया के नाम से दर्ज की जाकर इस हद तक प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की ओर से ईकबाल दावा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 जबाब स्टेट पेश हुआ कि राज्यहित को मध्यनजर रखते हुये वाद वादीया डिक्री किया जाता है तो कोई एतराज नही होगा।

उभय पक्षकारण अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादीया ने वादपत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के अधिवक्ता ने वादीया के तथ्यो को स्वीकार किया एवं वादपत्र स्वीकार किये जाने पर कोई ऐतराज नहीं जताया।

पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस उभय पक्ष के अधिवक्तागण की सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि उक्त आराजी वादीया के पिता प्रतिवादी संख्या 1 वादीया के दादा से प्राप्त हुई है जो मुताबिक बंटवारा वादीया के हक व हिस्सा में आयी थी। वादग्रस्त आराजी में अपना हक व हिस्सा होने की हैसियत से घोषणा एवं का अनुतोष चाहा गया है। जिसमे प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीया के कथनो पर अपनी सहमति प्रकट करते हुये ईकबालदावा पेश किया है। इस प्रकार वादीया ने अपना दावा को दस्तावेजी साक्ष्य, ईकबालदावा के कथनो एवं बहस के आधार पर बखूबी साबित किया है। ऐसी स्थिति में वाद वादीया स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीया स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि चक 13 एस डी एस सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 82/71 प.न. 39/124 मु0 न0 11 कि. न. 13 ता 25 प.न. 39/125 मु.न. 12 कि.न. 1 ता 25 प.न. 40/125 मु.न. 13 कि.न. 1 ता 25 प.न. 41/126 मु.न. 21 कि. न. 1 ता 3, 8 ता 13 , 18 ता 23 प.न. 40/126 मु.न. 22 कि.न. 1 ता 25 प.न. 39/126 मु.न. 23 कि.न. 1 ता 25 प.न. 39/127 मु. न. 24 कि.न. 1 ता 25 प.न. 40/127 मु.न. 25 कि.न. 1 ता 25 प.न. 41/127 मु.न. 26 कि.न. 1 ता 25 प.न. 42/127 मु.न. 27 कि. न. 1, 10, 11, 20, 21 प.न. 42/128 मु.न. 32 कि.न. 1, 10, 11, 20, 21 प.न. 41/128 मु.न. 33 कि.न. 1 ता 25 प.न. 40/128 मु.न. 34 कि.न. 1 ता 25 प.न. 39/128 मु.न. 35 कि.न. 1 ता 25 प.न. 41/129 मु.न. 36 कि.न. 1, 2, 3, 9, 10 कुल खाता 293 में 74.129 है0 नहरी मय गैर मुमकिन रास्ता खाला में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज 16.795 है0 आराजी मे से वादिया 4.301 है0 आराजी की खातेदार काश्तकार घोषित कर उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की जावे। इस हद तक प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे। यदि रकबा बैक रहन है तो बैक ऋण चुकता होने पर डिक्री की

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

पालना की जावे तहसीलदार राजस्व को पालनार्थ पत्र जारी हो। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.2.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17.2.2020

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सादुलशहर।

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2020.03.17 12:10:15 IST
Reason: SelfAttested
Location: